GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
Railway Board (रेलवे बोर्ड)

S.No.PC-VI/ 351 **RBE No. 73 /2015**
No.PC-V/2008/PS/1(Stipend) **New Delhi, dated 30 .06.2015**

The General Managers
All Zonal Railways & PUs
(As per mailing list)

Sub: - Fixation of stipend for Apprentice JEs selected through LDCE during their training period.

Ref: PNM/AIRF item No.11/2013.

All Indian Railwaymen's Federation have raised the issue regarding fixation of stipend for Apprentice JEs selected through LDCE during their training period. The issue was discussed in PNM meeting and it has been decided to reiterate the existing relevant provisions of IREM. In this context, attention is invited to para-1905 (2) of IREM Vol.II (Revised Edition-1990) which stipulates as under:-

> ".....Permanent Railway servants on appointment as apprentices in any category may be granted pay equivalent to the rate of stipend laid down for that particular category of Apprentices or their substantive pay as admissible to them from time to time whichever is higher. Temporary railway servants on appointment as apprentices in any category may be granted pay equivalent to the rate of stipend drawn by the Apprentices in their category".

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Hindi version is enclosed.

(N.P.Singh)
Dy.Director, Pay Commission-V
Railway Board

No.PC-V/2008/PS/1(Stipend) **New Delhi, dated 30.06.2015**

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

क्रम सं. पीसी-VI 351 आरबीई सं. 73/2015

सं. पीसी-V/2008/पीएस/1(स्टाइपेन्ड) नई दिल्ली, दिनांक 30.06.2015

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पाइन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चुने गए प्रशिक्षु जूनियर इंजीनियरों का उनकी प्रशिक्षण अवधि के दौरान वज़ीफा निर्धारित करना।

संदर्भ: पीएनएम/एआईआरएफ मद सं. 11/2013

ऑल इण्डियन रेलवेमेन फेडरेशन ने सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चुने गए प्रशिक्षु जूनियर इंजीनियरों का उनकी प्रशिक्षण अवधि के दौरान वज़ीफा निर्धारित करने से संबंधित मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे पर पीएनएम की बैठक में चर्चा की गई और आईआरईएम के मौजूदा प्रचलित प्रावधानों को पुन: दोहराने का विनिश्चय किया गया है। इस संदर्भ में, आईआरईएम वाल्यूम-II (संशोधित संस्करण-1990) के पैरा-1905 (2) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"..... स्थायी रेल सेवकों को उन्हें किसी कोटि में प्रशिक्षुओं के रूप में नियुक्त करने पर प्रशिक्षुओं की उस विशेष कोटि के लिए निर्धारित वज़ीफे की दर के बराबर वेतन या समय-समय पर यथा स्वीकार्य उनका मूल वेतन, जो भी अधिक हो, दिया जाए। अस्थायी रेल सेवकों को किसी कोटि में प्रशिक्षुओं के रूप में नियुक्त करने पर उनकी कोटि में प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वजीफ़े की दर के बराबर वेतन दिया जाए"।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(एन. पी. सिंह)
उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड